न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0 अति0संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 46/2021/अपील/एलआरएक्ट/झालावाड़
दायरा दिनांकः 09.11.2021
अन्तर्गत धाराः 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

1. पूरसिंह वल्द दुलेसिंह
2. जवानसिंह वल्द शोभसिंह

जाति राजपूत निवासीगण बिलावली तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

...अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार गंगधार, जिला झालावाड़

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री चन्द्रप्रकाश खण्डेलवाल अभिभाषक –अपीलांट
पेरोकार सरकार – रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 26.09.2024

अपीलांट ने न्यायालय अति0 जिला कलक्टर झालावाड़ (संक्षेप में प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 73/2020 बउनवान पूरसिंह बनाम राज0 सरकार में पारित निर्णय दिनांक 24.02.2021 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध यह द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय तहसीलदार, गंगधार द्वारा पटवारी हल्का भाटखेडी की भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 की रिपोर्ट अनुसार अपीलांट पूरसिंह, जवान सिंह द्वारा संवत 2076 में ग्राम बिलावली की खसरा संख्या 1079, 1079/1 की 2.12 बीघा किस्म गै0मु0 बंजड पर कब्जा कर सोया/घास बोकर अतिक्रमण कर रखा है। न्यायालय तहसीलदार गंगधार द्वारा प्रकरण सं0 256 दर्ज कर अपीलांट को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानते हुए 700 रूपये शास्ति व 30 दिन के सिविल कारावास के दण्ड से निर्णय दिनांक 13.11.2019 से दण्डित किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झालावाड़ को अपील पेश किये जाने पर प्रकरण में निर्णय दिनांक 24.02.2021 से अपील अपीलांट खारिज की गई। उक्त हरदो निर्णय अधीनस्थ न्यायलय से व्यथित होकर अपीलांट ने द्वितीय अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा में इस आशय की अपील पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय साक्ष्य के विरूद्ध होने से अपास्त योग्य हैं। अपीलांट का कोई कब्जा आराजी खसरा संख्या 1079 रकबा 2.12 बीघा की काबिल काश्त भूमि पर नहीं है तथा पेनल्टी की राशि भी जमा करा दी गयी है, तथा कब्जा छोड़ने का प्रमाण पत्र माननीय न्यायालय में पेश कर देगा। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का अवसर नहीं दिया

26-9-2024

गया तथा अपीलांट की गैरमौजुदगी में निर्णय पारित कर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए सिविल कारावास जैसे कठोर दण्ड से दण्डित किया गया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों के परिपेक्ष्य में कथन किया कि अपीलांट का कोई कब्जा आराजी खसरा संख्या 1079 रकबा 2.12 बीघा की काबिल काश्त भूमि पर नहीं है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया तथा अपीलांट की गैरमौजुदगी में निर्णय पारित कर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए सिविल कारावास जैसे कठोर दण्ड से दण्डित किया गया है। अतः अपील स्वीकार कर निर्णय हरदो अधीनस्थ न्यायालय निरस्त करने का अनुरोध किया।

4 रेस्पो0 पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुए जाहिर किया कि अपीलांट द्वारा संवत 2076 में ग्राम बिलावली की खसरा संख्या 1079, 1079/1 की 2.12 बीघा किस्म गै0मु0 बंजड पर कब्जा कर सोया/घास बोकर अतिक्रमण करने पर न्यायालय तहसीलदार गंगधार द्वारा पश्चात्र्वी अतिक्रमी मानते हुए 700 रूपये शास्ति व 30 दिन के सिविल कारावास के दण्ड से निर्णय दिनांक 13.11.2019 से दण्डित किया गया। प्रथम अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झालावाड़ ने भी अपीलांट को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर परीक्षणोपरांत जेरअपील निर्णय दिनांक 24.02.2021 पारित किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित उक्त हरदो निर्णय न्यायोचित है। अतः अपील खारिज की जावे।

5 हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एंव रेस्पो0 पेरोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एंव आलौच्य जेरअपील निर्णय के अवलोकन से प्रकट होता है कि न्यायालय तहसीलदार, गंगधार द्वारा पटवारी हल्का भाटखेडी की भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 की रिपोर्ट अनुसार अपीलांट पूरसिंह, जवान सिंह द्वारा संवत 2076 में ग्राम बिलावली की खसरा संख्या 1079, 1079/1 की 2.12 बीघा किस्म गै0मु0 बंजड पर कब्जा कर सोया/घास बोकर अतिक्रमण करने पर न्यायालय तहसीलदार गंगधार द्वारा पश्चात्र्वी अतिक्रमी मानते हुए 700 रूपये शास्ति व 30 दिन के सिविल कारावास के दण्ड से निर्णय दिनांक 13.11.2019 से दण्डित किया गया। प्रथम अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झालावाड द्वारा अपीलांट के सम्वत् 2075 में भी उक्त आराजीयात पर अतिक्रमण किया जाने से अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आने के परिणामस्वरूप निर्णय दिनांक 24.02.2021 से अपील अपीलांट खारिज की गई। प्रश्नगत प्रकरण में अपीलांट का मुख्य तर्क है कि अपीलांट का कोई कब्जा आराजी खसरा संख्या 1079 रकबा 2.12 बीघा की किस्म गै0मु0 बंजड भूमि पर नहीं है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया तथा अपीलांट की गैरमौजुदगी में निर्णय पारित कर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए सिविल कारावास जैसे कठोर दण्ड से दण्डित किया गया है। अपीलांट के उपरोक्त तर्को के संबंध में अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेख एवं जेरअपील निर्णय के अवलोकन पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि न्यायालय तहसीलदार गंगधार द्वारा संवत् 2075 में अपीलांट द्वारा अतिक्रमण करने पर प्रकरण संख्या 1666 निर्णय दिनांक 11.03.2019 से बेदखल किया गया था तथा 3100 रूपये शास्ति कायम की गई थी। इसके पश्चात् अपीलांट

26-9-2024

अति. सं. आयुक्त

पूरसिंह, जवान सिंह द्वारा पटवारी हल्का भाटखेडी से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार संवत् 2076 में ग्राम बिलावली की किस्म गै0मु0 बंजड भूमि खसरा संख्या 1079, 1079/1 की 2.12 बीघा किस्म किस्म गै0मु0 बंजड पर कब्जा कर सोया/घास बोकर अतिक्रमण किये जाने पर प्रकरण दर्ज किया जाकर दिनांक 06.11.2019 से अपीलांट को नोटिस जारी कर अपीलांट के बावजूद नोटिस के उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 13.11.2019 से बेदखल किया गया, जिस पर अपीलांट पूरसिंह के हस्ताक्षर अंकित है। साथ ही अपीलांट द्वारा पूर्व मे भी संवत् 2075 में उक्त आराजी पर अतिक्रमण करने तथा पटवारी हल्का भाटखेडी से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार पुनः संवत् 2076 में ग्राम बिलावली की किस्म गै0मु0 बंजड भूमि खसरा संख्या 1079, 1079/1 की 2.12 बीघा किस्म किस्म गै0मु0 बंजड पर कब्जा कर सोया/घास बोकर अतिक्रमण किये जाने से अपीलांट पश्चातवर्ती श्रेणी में होने से न्यायालय तहसीलदार गंगधार द्वारा अपीलांट को 700 रूपये शास्ति व 30 दिन के सिविल कारावास के दण्ड से निर्णय दिनांक 13.11.2019 से दण्डित किया गया। प्रथम अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झालावाड़ प्रकरण में अपीलांट को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान किया जाकर प्रकरण में कोई कानूनी बिन्दु निहित नहीं होने के परिणास्वरूप अपील अपीलांट निर्णय दिनांक 24.02.2021 से खारिज की गई है। इस प्रकार अपीलांट के इस कथन की पुष्टि नहीं होती है कि बिना सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किये हरदो अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निर्णय पारित किया गया हो। साथ ही अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा में ऐसे कोई साक्ष्य एवं तथ्य पेश नहीं किये गये है, जिससे अपीलांट के कथनों की पुष्टि होती हो। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तथ्यों का समुचित परीक्षण कर एवं अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान कर, उपलब्ध रिकोर्ड, दस्तावेजों के आधार पर जेरअपील निर्णय दिनांक 24.02.2021 पारित किया है, जिसमें हम किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नहीं पाते है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। परिणाम स्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

6 निर्णय आज दिनांक 26.09.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

26-9-2024

(ममता कुमारी तिवारी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
कोटा

अति. सं. आयुक्त
कोटा